

न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या—37 / 2022

राज्य प्रति सुन्दर राम

02.05.2024

वाद पुकारा। अभियुक्त सुन्दर राम और अर्जुन राम जमानत पर मय अपने विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह कोरंगा के साथ उपस्थित। अभियोजन की ओर से श्री जी0बी0 उपाध्याय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत थी। अभियोजन द्वारा कागज संख्या 63ख से प्रार्थना पत्र दिया गया कि साक्षी को समन जारी किया था, जो तामील किस्मदोयम प्राप्त है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल से आर0जी0 प्राप्त है कि साक्षी उ0नि0 अविनाश मौर्य थाना प्रभारी तल्लीताल नियुक्त हैं। थानाध्यक्ष 5 दिवस प्रशिक्षण में होने के कारण मा0 न्यायालय साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः साक्ष्य हेतु एक अन्य तिथि देने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थना स्वीकार।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक **27.05.2024** को पेश हो।

(नरेन्द्र दत्त)

विशेष सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।